

अभिनिर्णय

1. वाद संख्या : 34 / 2014-15
2. ग्राम : कुबेरशाह पट्टी।
3. परगना व तहसील : चांदा, लम्मुआ
4. जनपद : सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश)
5. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल : 4.3438 हे०
6. भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन : राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 56
(सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के
134.700 कि०मी० से 178.300
कि०मी० तक चौड़ा करने/चार लेन बनाने
आदि हेतु।
7. क्या जमींदारी विनाश क्षेत्र लागू है? : हाँ।
8. अध्याप्ति निकाय का नाम : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
(भारत सरकार) द्वारा भारतीय राष्ट्रीय
राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई
वाराणसी।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 : अधिसूचना संख्या-क.अ.2648(अ)
के अन्तर्गत धारा 3A की अधिसूचना
प्रकाशन का दिनांक भारत का राजपत्र असाधारण,
भाग II-खण्ड 3- उपखण्ड (ii)
नई दिल्ली, दिनांक 23.10.2012
10. धारा 3A की उपधारा (3) के : 1. अमर उजाला
प्राविधानानुसार स्थानीय समाचार
पत्रों में प्रकाशन का दिनांक दिनांक 12.12.2012
2. हिन्दुस्तान
दिनांक 12.12.2012
11. उक्त अधिनियम की धारा 3D : अधिसूचना सं०-क.अ.3219 (अ)
की उपधारा (1) के अन्तर्गत
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि भारत का राजपत्र असाधारण,
भाग II- खण्ड 3- उपखण्ड (ii)
नई दिल्ली, दिनांक 22.10.2013
12. उक्त अधिनियम की धारा 3G : 1.हिन्दुस्तान
की उपधारा 3 के अन्तर्गत स्थानीय
समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि दिनांक 14.11.2013
2. टाइम्स ऑफ इण्डिया
दिनांक 14.11.2013
13. अभिनिर्णय की तिथि : दिनांक ,2015

14. अभिनिर्णय की धनराशि का विवरण:-

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु०) | 2,21,24,001.00 |
| 2 | परिसम्पत्तियों का प्रतिकर | |
| | वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु०) | 3,15,438.00 |
| | भवन आदि निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु०) | 1,17,92,052.00 |
| | योग (रु०) | 3,42,31,491.00 |
| | 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि (रु०) | 34,23,149.00 |
| | सम्पूर्ण योग (रु०) | 3,76,54,640.00 |

15. अध्याप्ति व्यय की धनराशि (10 प्रतिशत) : रु० 37,65,464.00

16. पूंजीकृत मूल्य की धनराशि (मालगुजारी का 40 गुना): रु० 153.28×40 =6,131.20

यानि=6,131.00

अभिनिर्णय का औचित्य

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के 134.700 कि०मी० से 178.300 कि०मी० (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-कुबेरशाह पट्टी परगना-चांदा व तहसील लम्बुआ में भूमि अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया। इस प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा 3A के अन्तर्गत भारत सरकार का असाधारण राजपत्र, नई दिल्ली में गजट अधिसूचना दिनांक 23.10.2012 तथा दो समाचार पत्रों 'अमर उजाला' एवं 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित कराया गया। इस भू-अर्जन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ग्राम-कुबेरशाह पट्टी के भू-स्वामियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3C के अन्तर्गत नौ (09) आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसका निस्तारण नियमानुसार किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस कार्यालय द्वारा भेजा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत इस ग्राम में 4.3438 हे० भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भारत का राजपत्र असाधारण में दिनांक 22.10.2013 को प्रकाशित किया गया है, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के प्रकाशन के उपरान्त इस ग्राम में 4.3438 हे० भूमि अधिग्रहण हेतु दो दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 14.11.2013 को प्रकाशित किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 3G के अन्तर्गत भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई दावा/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम-कुबेरशाह पट्टी परगना-चांदा व तहसील लम्बुआ, जनपद-सुलतानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के (134.700 कि०मी० से 178.300 कि०मी० तक) (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजनार्थ गजट के आधार पर अधिग्रहीत भूमि गाटा संख्या 349 रकबा 0.0042हे०, गाटा संख्या 328 रकबा 0.0062हे०, गाटा संख्या 289 रकबा 0.0162हे०, गाटा संख्या 272 रकबा 0.0291हे०, गाटा संख्या 258 रकबा 0.0390हे०, गाटा संख्या 252 रकबा 0.0202हे०, गाटा संख्या 233 रकबा 0.0299हे०, गाटा संख्या 241 रकबा 0.0300हे०, गाटा संख्या 366 रकबा 0.0118हे०, कुल रकबा 0.2001हे० में अर्जित रकबे का सरकारी/गांवसभा भूमि का गजट प्रकाशन हुआ है, में अर्जित रकबे का सरकारी/गांवसभा भूमि का पुर्नग्रहण की कार्यवाही अध्याप्ति निकाय यानि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी द्वारा की जानी है। संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर गाटा संख्या 255 रकबा 0.0167 हे०, गाटा संख्या 350 रकबा 0.1240 हे० गाटा संख्या 261 रकबा 0.0253हे०, गाटा संख्या 282 रकबा 0.1848 हे०, गाटा संख्या 254 रकबा 0.0170 हे०, गाटा संख्या 284 रकबा 0.0888हे० गाटा संख्या 285 रकबा 0.2251हे०, गाटा संख्या 253 रकबा 0.3048हे०, गाटा संख्या 247 रकबा 0.0999हे०, गाटा संख्या 348 रकबा 0.0606हे०, गाटा संख्या 249 रकबा 0.1441हे०, गाटा संख्या 257 रकबा 0.1783हे०, गाटा संख्या 308 रकबा 0.0548हे०, गाटा संख्या 283 रकबा 0.1397हे०, गाटा संख्या 286 रकबा 0.1279हे०, गाटा संख्या 260 रकबा 0.0297हे०, गाटा संख्या 240 रकबा 0.3492हे०, गाटा संख्या 306 रकबा 0.2646हे०, गाटा संख्या 307 रकबा 0.1021हे०, गाटा संख्या 256 रकबा 0.2649हे०, गाटा संख्या 290 रकबा 0.2555हे०, गाटा संख्या 281 रकबा 0.4358हे०, गाटा संख्या 248 रकबा 0.0950हे०, गाटा संख्या 311 रकबा 0.0482हे०, गाटा संख्या 292रकबा 0.0035हे०, गाटा संख्या 259 रकबा 0.0039हे०, गाटा संख्या 242 रकबा 0.1014हे०, गाटा संख्या 365 रकबा 0.0185हे०, गाटा संख्या 313 रकबा 0.0256हे०, गाटा संख्या 312 रकबा 0.0820हे०, कुल रकबा 3.8717हे० में प्रतिकर की कार्यवाही की जा रही है। भूमि पर सर्वे के उपरान्त बूझों की मूल्यांकन आख्या प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग/जिला उद्यान अधिकारी सुलतानपुर से प्राप्त हुई हैं, जिसका समावेश प्रपत्र नमूना-11 पर विद्यमान है। अर्जित भूमि की वर्तमान बाजार दर ज्ञात करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा, 3(A) के प्राविधानों के अन्तर्गत धारा 3(A) की अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 23.10.2012/12.12.2012 से 3 वर्ष पूर्व के अवधि में निष्पादित विक्रय पत्रों को उपनिबंधक लम्बुआ, सुलतानपुर कार्यालय से क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार लम्बुआ तथा कार्यालय सहायक द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसे परिशिष्ट-2 पर अंकित किया गया, इस निर्धारित अवधि में कुल 16 विक्रय पत्रों को अनुसूची-2 में सूचीबद्ध किया गया है। सर्वेक्षण के आधार पर अन्य नम्बरों के सम्बन्ध में अध्याप्ति निकाय पुनः कार्यवाही करें। अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण बाजार मूल्य पर किया जाना है, अतएव विज्ञप्ति के तीन वर्ष के पूर्व के विक्रय पत्रों के निष्पादन के आधार पर बाजार मूल्य नियत किया जाना विधिसंगत है। अन्तिम प्रकाशन के तीन वर्ष पूर्व के बैनामों की जाँच करायी गयी। तैयार अनुसूची-2 में उल्लिखित 16 विक्रय पत्रों का अंकन देखा गया जो पत्रावली में संलग्न है, इनमें से विक्रय विलेख क्रम संख्या-01 लगायत 06 एवं बिक्रय बिलेख संख्या 08 लगायत 16 के दरों का बाजार भाव वर्तमान बाजार दर से कम एवं उपयुक्त न पाये जाने के कारण प्रतिनिधि बिक्रय पत्र के रूप में चयन किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है, जिस कारण से उपरोक्त विक्रय विलेखों को निरस्त किया जाता है। चूँकि ग्राम में बाजार भाव से निर्धारण किया जाना उपयुक्त है। अतः बिक्रय बिलेख संख्या 07 की बाजार दर ग्राम के बाजार दर के अनुरूप पाये जाने के कारण रकबा 3.8717हे० का निर्धारण किया जाता है। सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त निजी भूमि सम्पूर्ण रकबा 3.8717हे० को

अभिनिर्णय हेतु सर्वथा औचित्य पूर्ण पाते हुए अभिनिर्णय निर्धारित किया जाता है। निर्धारित दर के आधार पर अर्जित भूमि की प्रगणना निम्नवत है:-

| | | |
|----|--|-----------------------|
| 1 | भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु०) | 2,21,24,001.00 |
| 2 | परिसम्पत्तियों का प्रतिकर | |
| | वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु०) | 3,15,438.00 |
| | भवनों आदि निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु०) | 1,17,92,052.00 |
| | योग (रु०) | 3,42,31,491.00 |
| 10 | प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि (रु०) | 34,23,149.00 |
| | सम्पूर्ण योग (रु०) | 3,76,54,640.00 |

अ

तएव उपरोक्त निर्धारित दर के आधार पर सर्वेक्षण के आधार पर 3.8717 हे० अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रु० 2,21,24,001.00 होता है तथा परिसम्पत्तियों के रूप में भवनों का मूल्यांकन रु० 1,17,92,052.00 है तथा वृक्षों की मूल्यांकन आख्या 3,15,438.00 होता है। इस निर्धारित धनराशि पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G (2) के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त धनराशि रु० 34,23,149.00 देय होगी। इस प्रकार कुल अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रु० **3,76,54,640.00** (रु० तीन करोड़, छिहत्तर लाख, चौब्वन हजार, छः सौ चालिस मात्र) निर्धारित किया जाता है।

अध्याप्ति व्यय— कुल अभिनिर्णीत धनराशि रु० **3,76,54,640.00** पर 10 प्रतिशत की दर से अध्याप्ति व्यय रु० **37,65,464.00** अर्जन निकाय से वसूल कर राज्य के निर्धारित लेखा शीर्षक "0029—भू राजस्व—800 अन्य प्राप्तियाँ 007—भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्यवाहियों की वसूली 0704 अन्य संस्थाएं" में जमा किया जायेगा।

पूँजीकृत मूल्य—अर्जित भूमि में भू—राजस्व 73.43 का 40 गुना रूपया 2,937.00 अध्याप्ति निकाय से वसूल करके राज्य सरकार के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाएगा।

अतः मैं सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर सुलतानपुर 1.8696 हे० भूमि का अभिनिर्णय ग्राम—नरहरपुर परगना—चांदा व तहसील लम्भुआ, में रु० **7,86,68,750.00** (रु० सात करोड़, छियासी लाख, अड़सठ हजार, सात सौ पच्चास मात्र) घोषित करता हूँ। अभिनिर्णीत धनराशि खातावार, गाटावार भू—अर्जन से प्रभावित भू—स्वामियों के नाम पर भूमि अर्जन प्रपत्र—11 में अंकित की जाए।

आज दिनांक ,2015 को अभिनिर्णय घोषित कर पत्रावली में सम्मिलित किया गया है।

(राम विलास)

सक्षम प्राधिकारी/अपर
उप जिलाधिकारी, सदर
सुलतानपुर।